पंजीकृत
फैक्स

प्रेषक,

आयुक्त एवम् सचिव,
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश,
गोपन प्रकोष्ठ, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2 समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः– सी–197 / गोपन–3214 पी दिनांकः 20जून,2017

विषयः– उत्तर प्रदेश सिविल सेवा कार्यकारी शाखा के अधिकारियों के आकस्मिक निधन की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सख्याः–1891 / दो–2–2017, दिनाँक 01–06–2017, जो परिषद् के साथ–साथ आप व अन्य को सम्बोधित तथा आयुक्त एवम् सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित है, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये यह अवगत कराना है कि Manual of Government orders chapter 146 के प्रस्तर–1160 तथा 1161 में अधिकारियों की मृत्यु की सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था प्राविधानित है:–

1160. Death of officers.-Reports regarding deaths of all gazetted officers should be sent to the Secretary to Government in the Administrative Department by telegram, followed by a confirmatory letter. The officer making the report should intimate the time and date of death and state what intimation, if any, has been sent to the deceased officers' relatives or agents.

1161. Report of violent death of gazetted officers.-Telegraphic report should be made to the Chief Secretary regarding any gazetted officers who are killed or severely wounded in the execution of their duty or who meet with sudden or violent death in any circumstances. A full report by letter should follow.

2. उक्त प्राविधानित व्यवस्था के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन राजरव विभाग में कार्यरत उत्तर प्रदेश सिविल सेवा कार्यकारी शाखा के अधिकारियों के आकस्मिक निधन की सूचना मैनुअल आफ गवर्मेन्ट आर्डस के उपरिवर्णित प्रस्तरों में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार द्रुतगति(Fastest means) से अर्थात फैक्स / ईमेल द्वारा नियुक्ति विभाग के साथ–साथ राजस्व परिषद्

को प्रेषित करते हुए राजस्व विभाग में कार्यरत अन्य राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में भी उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सूचना परिषद् को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव।

<u>संख्या व दिनांक उपरोक्त</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग–2, लखनऊ।
2. निबन्धक, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त अनुभाग अधिकारी, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे परिषद् की बेब साइड पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त।